



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
(पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
पो0 ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून - 248 006 (उत्तराखण्ड)



संख्या: 11-19/PHS/2024-ICFRE

दिनांक : 24.10.2025

अधिसूचना

विषय: सीजीएचएस द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सा संगठनों का भा०वा०अ०शि०प० के लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् से सूचीबद्धता के सम्बंध में।

सीजीएचएस और एचसीओ के मध्य हस्ताक्षरित हुए संस्था के बहिर्नियम (MOA) के पैरा 3(h) में उल्लेखित प्रावधान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भा०वा०अ०शि०प० की दी गई मान्यता जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 2-14/2011-FE दिनांक 01.04.2015 द्वारा परिषद् को सूचित किया गया, के परिपेक्ष में भा०वा०अ०शि०प० के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से Dr Gagan Nakra, (Nakra Family Homeopathic Clinic), 303, Mohit Nagar, Maharani Bagh Road, Dehradun Uttarakhand को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् से सूचीबद्ध किया जाता है। जिसके अंतर्गत भा०वा०अ०शि०प० देहरादून एवं इसके अन्य सभी संस्थानों के पेंशनभोगियों और सेवारत कर्मचारियों को सीजीएचएस के तहत लागू दरों/पैकेज के अनुसार चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अधिसूचना सं0 11-19/PHS/2024-ICFRE दिनांक 13.01.2025 के क्रम में यह सूचीबद्धता दिनांक 30.09.2026 तक जारी रहेगी।

भा०वा०अ०शि०प० के लाभार्थियों (सेवारत कर्मचारियों/पेंशनरों) पर कैशलेस सुविधाएं लागू नहीं हैं।

Digitally signed by
Sushant Kumar
Date: 24-10-2025
16:03:21

(सुशान्त कुमार, भा०वा०से०)

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

भा०वा०अ०शि०प०

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. Dr Gagan Nakra, (Nakra Family Homeopathic Clinic), 303, Mohit Nagar, Maharani Bagh Road, Dehradun Uttarakhand.
2. भा०वा०अ०शि०प० के अंतर्गत सभी संस्थानों के निदेशक को।
3. उप महानिदेशक (प्रशासन), भा०वा०अ०शि०प०/सचिव, भा०वा०अ०शि०प०।
4. प्रमुख, आई०टी० भा०वा०अ०शि०प० (भा०वा०अ०शि०प० की वेबसाइट में अधिसूचना अपलोड करने के लिए)।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, न्यू फॉरेस्ट हॉस्पिटल, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।